16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 398234

Sanjay Kumar Singh

श्री रणजीत सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

ग्राम रौनापार (कादीपुर) आजमगढ़

<u>ट्रस्ट डीड</u>

आज दिनांक 04.10.2014 को मैं संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ग्राम रौनापार (कादीपुर) पोस्ट व थाना रौनापार तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक सामाजिक , सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। हम मुकिर के मन मस्तिष्क मे अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ साथ राष्ट्र एवं समाजहित का चिन्तन बराबर बना रहता है ।

हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति आपसी सद्भाव व सदाचार स्वास्थ्य शिक्षा एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो तथा शिक्षत बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुसार तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय सामाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई चारा साम्प्रदायिकता का तालमेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद जाति भेद, छुआछुत, धर्म एवं सम्प्रदाय , ऊँच नीच की भावना कही से भी बाधक न हो।

जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के आधिकारिक लाभ प्रदान के लिए विभिन्न विषयों में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक कर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एवं कल्याणकारी ट्रस्ट /न्यास की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था को बाबत

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — BU 398238

5100/- (पॉच हजार एक सौ रूपये) का एक ट्रस्ट /न्यास को स्थापित किया जा रहा है। और आगे भी इस ट्रस्ट /न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेगें।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापति ट्रस्ट /न्यास का नाम " श्री रणजीत सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान" से सम्बोधित किया जायेगा डीड में न्यास अथवा ट्रस्ट शब्द पर्यावाची होगें जिनके नाम निम्न इस प्रकार होगें। जो अग्रेजी में श्री रणजीत सिंह कालेज ऑफ ऐजूकेशन या श्री रणजीत सिंह ऐजूकेशनल ट्रस्ट के नाम से भी सम्बोधित होगा जिसका अर्थ एक ही समझा जायेगा।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय ग्राम रौनापार (कादीपुर) पोस्ट व थाना रौनापार तहसील सगडी जनपद आजमगढ़ (उ0प्र0) होगा। ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालायों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पता पर ट्रस्ट/न्यास मजकूर द्वारा गठित किया जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीयन सुसंगत अधिनियामों के अर्न्तगत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट /न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी /न्यासी होगें तथा ट्रस्ट/न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें । हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित ब्यक्तियों जो ट्रस्ट. /न्यास के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट/न्यास के हित में ट्रस्टी /न्यासी के रूप मे कार्य करने को सहमत है व न्यास /ट्रस्ट के ट्रस्टी /न्यासी नामित करते है। इस प्रकार नामित ब्यक्तियों को ट्रस्ट /न्यास का ट्रस्टी /न्यासी कहा जायेगा। जिसकी कुल संख्या 7 होगी। पॉच से अधिक नही होगी। भविष्य मे हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट /न्यास के उद्देश्यों को सुगम प्राप्ति के लिए अन्य ट्रस्टियों /न्यासियों को भी नामित किया जा सकेगा। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टी /न्यासी तथा मुख्य ट्रस्टी/न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल /ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यासी ट्रस्टी की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी/न्यासी के रूप मे नामित व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है-

Sanjay Kumar Singh

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH | BU 398237

1. श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ग्राम रौनापार (कादीपुर) पोस्ट व थाना रौनापार जनपद आजमगढ़– संस्थापक /अध्यक्ष/प्रबन्धक।
2. सौरभ कुमार सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ग्राम रौनापार (कादीपुर) पोस्ट व थाना रौनापार जनपद आजमगढ़– उपाअध्यक्ष/उपप्रबन्धक।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ग्राम रौनापार (कादीपुर) पोस्ट व थाना रौनापार जनपद आजमगढ़– कोषाध्यक्ष।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा श्री रणजीत सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान" ट्रस्ट/न्यास के नाम से जिस ट्रस्ट /न्यास की स्थापना की जा रही है इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. समाज के आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास व विभिन्न संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु व श्री रणजीत सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान" ट्रस्ट/न्यास के समस्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना।
2. शिक्षा एवं जीवनपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत करना व उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. छात्र, छात्राओं को रचानात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वागिण विकास के लिए प्राथमिक, जू०हा० स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमिडिएट, व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों, टेक्नीकल कालेजों जैसे आई०टी०आई०, पालिटेकनिक, बी०टेक, एम०टेक एवं मेडिकल कालेजों एवं प्रोफेशनल कालेजों जैसे एम०वी०ए०, एम०सी०ए०, पी०जी०डी०सी०ए०, शिक्षा संकाय जैसे बी०एड० , बी०टी०सी०, एन०टी०टी०, टी०सी० जैसे शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान को जन जीवन आवश्यकएवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रू. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 398236

सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से विशेष ज्ञान उपलब्ध कराना।

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा , सामप्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति , राष्ट्रीय एकता , राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

6. लिंग भेद , जाति पाति , छूआछूत, धर्म और सम्प्रदाय उँच नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता पैदा करना।

7. ट्रस्ट /न्यास द्वारा स्थापति महाविद्यालयों के प्रचार प्रसार तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों की परिनियमावली के अनुसार उनके प्रबन्ध ब्यवस्था के लिए नियामानुसार विश्वविंघालय से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालयों के समिति के पदेन सदस्य होगें तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

8. शिक्षा प्रचार – प्रसार उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र मे सामान्य शिक्षा / गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित व संचालन करना।

9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थीयों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल , इंजीनियरिंग, पालिटेकनिक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों का संचालन कराना।

10. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधत्व प्रदान करना।

11. अनु0 जाति, अनु0 जनजाति पिछड़े एवं कमजोर वर्गों व पी0एम0एस0 के लिए स्वरोजगार योजना को प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र मे कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए अलग से कोचिंग की ब्यवस्था करना।

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 398235

12. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिग जैसे – सिलाई , कढाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीन , इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग , टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
13. खाद्य प्रसंस्करण जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
14. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हैण्डीकाफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, ब्याख्यान तथा खेल कूद आदि का आयोजन , प्रतियोगिताओं तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना संस्था का उद्देश्य है।
15. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे– गूंगें, बहरे, अंधों, अपंग, एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछडे वर्ग , गरीब बच्चों निराश्रित , अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
16. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्रों अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना कर संचालन करना।
17. महिला संरक्षण गृह/ विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता देना।
18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र , बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र , आंगनबाडी, बालवाडी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण, हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 010051

19. सरकारी/अर्धसरकारी /प्राइवेट व खाली पडी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, आषधियों एवं जड़ी बूटीयों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) सौन्दर्य उपयोगी पौध, (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधो या अन्य पौधों या आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण कराना एवं विलुप्त हो रहे औषधि पौधों की खेती करना।
20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन तक पहुचाना।
21. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू , पान मसाला, गांजा, भांग , स्मैक, एल0सी0बी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाली बिमारियों के प्रति सर्तक करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की ब्यवस्था करना।
22. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमख्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इससे सम्बन्धित बिमारियों की जानकारी व रोकथाम टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
23. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे जूडो कराटे, योगा, जिमनास्टिक, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
24. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।
25. एडस कैंसर , टी0बी0 कोढ़ मलेरिया, पोलियो, हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की ब्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010050

के लाभ हेतु डेन्टल कालेज तथा मेडिकल कालेज , आयुष मेडिकल कालेज , पैरा मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय कालेज तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

26. तत्काल सुविधा पहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन /बस / दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों ,गर्भवती महिलाओं , बीमार असहाय वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुचानें के लिए अथवा एक अस्पताल से दुसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स /बैंक की व्यवस्था करना।
27. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
28. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो को भी ट्रस्ट /न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
29. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसियेशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट के उद्देश्य से मिलते हो।
30. सरकारी अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए सहायता प्राप्त कराना।
31. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थओं/तन्त्रों/कम्पनी/दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट , गिफ्ट,चल एवं अचल सम्मलित है।
32. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनु0 जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
33. राज्य सरकार द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।
34. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

ट्रस्ट/न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तब्य :–

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010049

1. स्मान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाइयों को सुचारू रूप ब्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थपना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।
3. ट्रस्ट/न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट /न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की ब्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट/न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी ब्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट/न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्या के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट /न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्ततिर करना व अन्य प्रकार से उनकी ब्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट/न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण ब्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट/न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं , विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों शोध केन्द्रों , गौशालों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार

Sanjay Kumar Singh

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010048

नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. ट्रस्ट /न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट /न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में ब्यक्तियों, संस्थाओं सरकारी अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी, विभागों में दान उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा तथा विभिन्न माध्यम से ट्रस्ट /न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास गण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व ब्यवसायिक पाठयक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रवन्धक ब्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6. **ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्ध ब्यवस्था :-**

(क) **ट्रस्ट/न्यास का गठन एवं सचालन** – ट्रस्ट /न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1. ट्रस्ट/न्यास के मुख्य ट्रस्टी /न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होगें और ट्रस्ट/न्यास के मुख्य ट्रस्टी/न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाय तो न्यास के शेष न्यासियों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों मे से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यसी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010047

न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

2. मुख्य ट्रस्टी/न्यसी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता मे उनके द्वारा निर्धारित उपप्रबन्धक/उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
3. ट्रस्ट /न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध ब्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों मे ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख रेख मे कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट/न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा न्यासी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्ताराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप मे सम्मलित होने से इनकार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दुसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010046

के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रुप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5. ट्रस्ट/न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा मे न्यास मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व मे दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप मे संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नही किया जाता है तो उसे ट्रस्ट/ मण्डल के सदस्य के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध ब्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट/न्यास मण्डल का कोई भी न्यास किसी भी ब्यक्ति या संस्था से यदि कोई ब्यक्तिगत लेन देन करता है तो ट्रस्ट/न्यास का इस सम्बन्ध मे कोई उत्तरदायित्व नही होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगा।

(ख) **ट्रस्ट/न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः—**

1. ट्रस्ट /न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी । उक्त वार्षिक बैठक मे न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं / समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010045

भी भाग लेगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी ब्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी ब्यक्तियों का वार्षिक बैठक मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा वार्षिक बेठक के अनुपस्थित व मण्डल व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। यदि कोई वार्षिक बैठक में न्यास के पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक मे अनुपस्थित हो सकता है ।

2. वार्षिक बैठक मे न्यास के वर्ष भर के क्रिया कलापो पर विचार होगा और आय ब्यय पर विचार कर ट्रस्ट/न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7 मुख्य न्यासी/ट्रस्टी / प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कतर्ब्य:–

1. इस ट्रस्ट/न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट /न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट /न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना ।
4. ट्रस्ट/न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना मण्डल के सदस्यों को देना।
5. ट्रस्ट/न्यास चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय ब्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट/न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रूपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010044

7. ट्रस्ट / न्यास तथा न्यास के विरूद्ध विधिक कार्यवाहीयों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित मे अन्य समस्त कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट / न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट / न्यास का आय ब्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय ब्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. ट्रस्ट / न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना।

8 **न्यास के कोष की ब्यवस्थाः–**

ट्रस्ट / न्यास के कोष को सुचारू रूप से रखाव एवं उसकी ब्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीय / मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियॉ व ऋण निहित होगी। के नाम के नाम खोले गये खाते को संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत एक न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9 ट्रस्ट / न्यास के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर , कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जयेगा।

10. **ट्रस्ट / न्यास के सम्पत्ति की ब्यवस्थाः–**

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010043

ट्रस्टी /न्यासी जिसे की मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होगें।

यह कि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। ट्रस्ट /न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

यह कि ट्रस्ट/न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट/न्यास मण्डल को प्राप्त होगा । न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी /न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सूनी जोयगी।

ट्रस्ट /न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध मे ट्रस्ट/न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय को प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट/न्यास में निहित रहेगी।

ट्रस्ट/न्यास की आय व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी। ट्रस्ट/न्यास द्वारा न्यास के विरूद्ध किसी भी बैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जा सकेगा। जिसकी पैरवी न्यास की और से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010042

ट्रस्ट/न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट/न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु बैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

ट्रस्ट/न्यास का कोई भी सामान भूमि भवन बाग बगीचा फर्निचर स्टेशनरी किताबें आदि कोई भी सामान ट्रस्ट/न्यास का कोई भी पदाधिकारी एवं सदस्य न बन्धक (गिरवी) रखेगा न आपसी बटवारा होगा न किसी को बेचा जायेगा पुस्त दर पुस्त ट्रस्ट/न्यासी सजातीय होगा विजातीय नही होगा उसको बेचने का अधिकारी मुख्य न्यासी/ प्रबन्धक का होगा।

ट्रस्ट/न्यास मण्डल न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

यह ट्रस्ट या इस ट्रस्ट द्वारा संचालित कोई भी संस्था सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जवाबदेह नही होगा।

ट्रस्ट/न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट/न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके वावत भी यह शर्तें लागू होगें।

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010041

घोषणा –पत्र

श्री रणजीत सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से हम संजय कुमार सिंह न्यासी/ट्रस्टी के रूप मे हम घोषित करते है कि उपरोक्त ट्रस्ट/न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव व सोच समझ कर इस ट्रस्ट/न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे कि ट्रस्ट/न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी/न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण

Sanjay Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 010040

दिनांक 04.10.14

मसविदाकर्ता सैयद अहमद हसन

टाईपकर्ता अरूण राय त0 सगड़ी

वसीका नवीस त0सगड़ी, आजमगढ़

Sanjay Kumar Singh

शा० ना० 402 कीमत 10/-

अजय [illegible] ला० नं० -103
[illegible] विक्रेता त०- सगडी आजमगढ़
4-10-14

आज दिनांक 4-10-14 को फोटो
स्टेट प्रति-पुस्तक संख्या IV
[illegible] 33-66 पर
खण्ड 52 पर रजिस्ट्रीकृत
क्रम संख्या 16
किया गया।

उप निबन्धक
सगडी-आजमगढ़